

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 817-पीबीआर/07 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-12-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2005-06.

एम.एस.के. प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड
बड़ोदा (गुजरात.)

.....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, झाबुआ

.....अनावेदक

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/3/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रन्नी तहसील थांदला जिला झाबुआ स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1143 रकबा 2.740, सर्वे क्रमांक 1823 रकबा 0.710 हेक्टेयर व सर्वे क्रमांक 1945 रकबा 11.670 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में काबिल कास्त दर्ज है एवं सर्वे क्रमांक 1405 रकबा 2.52 एकड़, सर्वे क्रमांक 1426 रकबा 0.81 एकड़ एवं सर्वे क्रमांक 1763 रकबा 5.86 एकड़ राजस्व अभिलेखों में नदी मद में दर्ज है। पटवारी द्वारा ग्राम रन्नी के भ्रमण दिनांक 27-4-2002 के समय पाया गया कि आवेदक इकाई एम. एस.के. प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड बड़ोदा द्वारा उक्त भूमियों में से लगभग 500 ट्राली



गिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया है, तदनुसार पटवारी द्वारा तहसीलदार, थांदला को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 243/बी-121/2001-02 में जाँच कर प्रतिवेदन दिनांक 17-5-2002 अनुविभागीय अधिकारी, थांदला को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-67/2001-02 दर्ज किया जाकर दिनांक 15-9-2003 को आदेश पारित कर अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाते हुए, किये गये अवैध उत्खनन की रायल्टी राशि रुपये 37,500/- के 10 गुने अर्थात् 3,75,000/- रुपये शास्ति अधिरोपित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 15-9-2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-12-2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति रुपये 3,75,000/- के स्थान पर रुपये 3,00,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के शेष भाग को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रुपये 3,75,000/- शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अपर आयुक्त द्वारा रुपये 3,00,000/- किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन प्रमाणित नहीं होने के कारण ही अपर आयुक्त द्वारा शास्ति कम की गई है, जबकि उन्हें शास्ति निरस्त करना चाहिए थी । यह भी कहा गया कि आवेदक इकाई द्वारा उसे लीज पर प्राप्त भूमि पर ही उत्खनन किया गया है, और उनके द्वारा अन्य भूमि पर कोई उत्खनन नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि शासन की ओर से आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है एवं आवेदक इकाई द्वारा विधिवत रायल्टी जमा करके ही उत्खनन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है, और मौके पर विधिवत जाँच नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक इकाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत ही




सड़क का निर्माण कर रही है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 1981 एम.पी.डब्ल्यू.एन. (पार्ट 2) 247 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक इकाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर अवैध उत्खनन किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति वैधानिक एवं उचित है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा न्यायिक दृष्टि से अधिरोपित शास्ति रूपये 3,75,000/- के स्थान पर रूपये 3,00,000/- की गई है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।


5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण कराया जाकर पटवारी एवं खनिज निरीक्षक के कथनों से आवेदक इकाई द्वारा किये गये अवैध उत्खनन को प्रमाणित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर भी दिया गया है । आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह कहा गया कि उनके द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर गिट्टी का उत्खनन किया गया है, और रूपये 55,000/- रायल्टी जमा कराने की बात भी बताई गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक इकाई की ओर से जो रूपये 55,000/- जमा किये गये हैं, वे न तो रायल्टी के रूप में हैं, और न ही ट्रांजिट पास के रूप में । इसके अतिरिक्त मौके पर जाँच अधिकारी को रायल्टी का ट्रांजिट पास उपलब्ध कराये जाते हैं, जो कि नहीं कराये गये हैं, अतः ग्राम पंचायत से विधिवत अनुमति लिया जाकर उत्खनन किया जाना विश्वसनीय नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर आवेदक इकाई द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाते हुए रूपये 3,75,000/- शास्ति अधिरोपित करने में विधिवत कार्यवाही




की गई हैं, और इन्हीं निष्कर्षों के साथ कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त ने भी आवेदक इकाई द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया है, और न्यायहित में रूपये 3,75,000/- के स्थान पर 3,00,000/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, अतः उनका आदेश भी हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2006 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर